1/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित P.O साहब दौरा कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 15/9/23 को पेश हो।

15/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O सा. दौरे पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/11/23 को पेश हो।

9/11 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.। P.O. साहब चुनाव कार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 22/1/24 को पेश हो।

22/1/24 वकील वादी उप.। साक्ष्य वादी हेतु पुनः अवसर चाहा। अंतिम अवसर दिया जाता है पत्रावली दिनांक 29/1/24 को पेश हो।

वाद संख्या 22/2022
भागूराम बनाम भूमिधारी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। बहस वकील वादी सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 566, 567, 568, 569, 570, 572 किता 6 रकबा 6.64 हैक्ट ग्राम गणेश्वर में वादी 271/1938 हिस्से का खातेदार है। वादी का नाम भागूराम पुत्र हजारी राम है। दस्तावेज पेश किये है जिन सभी में वादी का नाम भागूराम पुत्र हजारी राम दर्ज है। ग्राम दानी ग्राम झिराणा में भी वादी के नाम खातेदारी भूमि दर्ज है जिसमें भी वादी का नाम भागूराम पुत्र हजारी राम दर्ज है। जिसकी जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति पेश की है। वादग्रस्त भूमि में वादी का नाम सहवन से भागूराम के स्थान पर मंगला दर्ज हो गया। बचपन में वादी को घर परिवार पर प्यार से मंगला के नाम से भी बुलाया जाता था इस कारण खातेदारी में मंगला दर्ज हो गया है जबकि वादी का सही व शुद्ध नाम भागूराम है। ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र व रिपोर्ट पटवारी हल्का भी पेश की है जिससे भी मेरे वाद पत्र के तथ्यों [illegible] ती है। अतः दावा वादी स्वीकार किया जावें [illegible] नाम मंगला पुत्र हजारी के स्थान पर [illegible] पुत्र हजारी दुरु[illegible] किये जाने के आदेश दिये जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.12.02 12:44:06 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner